LATEST

NEWS

Election

Date : 03rd Nov. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर
अलवर भास्कर 03-11-2025

बीएलओ का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

राजगढ़. दो दिवसीय प्रशिक्षण में मौजूद बीएलओ।

राजगढ़| कस्बे के गांधी पार्क में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर सीमा मीणा के निर्देशन में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर बूथ लेवल अधिकारी, पर्यवेक्षक, बूथ लेवल एजेंट को प्रशिक्षण दिया गया। रिटर्निंग अधिकारी सीमा मीणा और अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामावतार सैनी ने बताया कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी कल्याण सहाय मीणा की मौजूदगी में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर गौरव जैन, सुरेश तनेजा, रतन राजोरा, विधानसभा स्तरीय ट्रेनर कुलदीप शर्मा व गोविंद शर्मा ने गहन पुनरीक्षण को लेकर जानकारी दी। प्रशिक्षण में 2026 गणना प्रपत्र में जमा होने वाले दस्तावेज, नवीन प्रावधानों की जानकारी, गणना प्रपत्र में संशोधन, मतदाता मैपिंग से संबंधित जानकारी के साथ घर-घर जाकर गणना एवं दावे आपत्तियों के साथ बीएलओ एप के बारे में भी समझाया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों ने सवाल जवाब किए।

दैनिक भास्कर
बारां 03-11-2025

ग्रामीण प्रशासन की समझाइश के बाद मतदान करने पर सहमत

बारां| अंता विधानसभा उपचुनाव–2025 के तहत आगामी 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर ग्राम उत्थी तहसील बारां के ग्रामीणों ने पहले मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। ग्रामीणों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जब तक पानी की व्यवस्था नहीं की जाती, वे मतदान नहीं करेंगे। मामले की जानकारी मिलने पर तहसीलदार दशरथ मीणा पटवारी हल्का के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से विस्तृत वार्ता की। तहसीलदार ने संबंधित विभाग से संपर्क कर जल समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। विभाग की ओर से तीन दिन के भीतर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश और सकारात्मक पहल के बाद ग्रामीणों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की सहमति जताई और मतदान करने का भरोसा दिलाया।

दैनिक भास्कर

बारां 03-11-2025

268 ईवीएम मतदान बूथों के लिए निर्धारित

बारां| अंता विधानसभा उप चुनाव में उपयोग ली जाने वाली ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेंडमाईजेशन रविवार को मिनी सचिवालय सभागार में किया। इस दौरान पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा, पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर, जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि निर्वाचन में पारदर्शिता के तहत 11 नवंबर को मतदान में उपयोग ली जाने वाली वोटिंग मशीनों का कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से दूसरा रेंडमाइजेशन किया गया है। इनमें से 268 ईवीएम मतदान बूथों के लिए निर्धारित की गई। इसके अलावा ईवीएम की 80-80 कंट्रोल यूनिट व बैलट यूनिट तथा 107 वीवीपैट रिजर्व रखी गई हैं।

दैनिक भास्कर

बारां 03-11-2025

लोकनृत्य और नुक्कड़ नाटक से बढ़ाई मतदान की जागरूकता

अंता में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हुए कई कार्यक्रम

भास्कर न्यूज | अंता

नाचेंगे, गाएंगे, वोट डालने जाएंगे... नुक्कड़ पर समझाएंगे, सब वोट डालने जाएंगे...। इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ कस्बे में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से लोगों से 11 नवंबर को मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई।

यह आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर, जिला स्वीप प्रभारी राजवीर सिंह चौधरी, रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव, ब्लॉक स्वीप प्रभारी बीडीओ राधेश्याम भील, नगर पालिका ईओ दीपक नागर के निर्देशन और मार्गदर्शन में हुआ। स्वीप टीम के सदस्य ओम मेरौठा, सुरभि खंडेलवाल, नेहा शर्मा और विकास मालव ने सतरंगी सप्ताह के तहत तय कार्यक्रम के अनुसार कस्बे के विभिन्न चौराहों, तिराहों, सब्जी मंडी, शिवाजी चौक, रेलवे स्टेशन और मुख्य बाजार में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित कीं। जिसमें छीपाबड़ौद के कुमार गंधर्व कला संस्थान के कलाकारों ने हाड़ौती भाषा में संवादों और गीतों के जरिए नागरिकों से मतदान करने के लिए जागरूक किया। लोकनृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से संदेश दिया कि मतदान न केवल अधिकार है बल्कि देश के प्रति कर्तव्य भी है। लोकगीतों की धुन पर लोग झूम उठे और कई नागरिकों ने मौके पर ही मतदान करने की शपथ ली।

राजकीय बालिका माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हुए बिना भय और प्रलोभन के मतदान करने का संदेश दिया। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय की प्रतिनिधि सोनम दीदी ने अपने साथियों सहित मंच से मतदाताओं को लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी की प्रेरणा दी। ब्लॉक स्वीप प्रभारी बीडीओ राधेश्याम भील ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा का विकल्प भी समान रूप से प्रभावी है। नगर पालिका के राहुल नामदेव, मयंक चौरसिया, आर्यन, छीतरलाल, ओम मेरोठा और सुरभि खंडेलवाल ने भी मताधिकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जाति, धर्म या किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर मतदान करना सच्चे नागरिक की पहचान है।कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मोबाइल एप वीएचएल, सक्षम, सी-विजिल और केवाईसी के बारे में भी जानकारी दी गई। नागरिकों को बताया गया कि इन एप के माध्यम से वह चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां, शिकायतें और पारदर्शिता से जुड़ी सूचनाएं हासिल कर सकते हैं। अंत में आमजन ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने और शत-प्रतिशत मतदान का संकल्प लिया।

दैनिक भास्कर
झुंझुनू भास्कर 03-11-2025

एसआईआर; गणना फार्म नहीं भरा तो मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा नाम

बिसाऊ व निराधनूं में बीएलओ कल से घर-घर जाकर जुटाएंगे मतदाताओं की जानकारी

भास्कर न्यूज | बिसाऊ

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे।

निराधनूं के बीएलओ हीरालाल और बिसाऊ के पूर्व पार्षद नेमीचंद खटीक ने बताया कि वर्तमान वोटर लिस्ट में दर्ज सभी मतदाताओं को घर-घर जाकर गणना फार्म वितरित किए जाएंगे। फार्म भरकर मतदाताओं द्वारा बीएलओ को वापस जमा करवाना होगा। यदि किसी कारणवश किसी मतदाता ने गणना फार्म नहीं भरा तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

2002 की मतदाता सूची वालों को नहीं देने होंगे दस्तावेज

जो मतदाता देश के अन्य हिस्सों में या विदेश में रहते हैं तो उनके गणना फार्म पत्नी या पुत्र भरकर जमा करवा सकते हैं। खासकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की हाल ही के 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखने जरूरी हैं। क्योंकि बिना फोटो के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस मौके पर बीएलओ हीरालाल ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में है, उन्हें सिर्फ बीएलओ से प्राप्त होने वाला गणना-प्रपत्र ही भरकर देना होगा। अन्य कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इस सूची में स्वयं का नाम नहीं है लेकिन माता पिता का नाम है तो उनको भी किसी तरह के दस्तावेज नहीं देने हैं। ऐसे मतदाता जिनका खुद का और माता-पिता किसी का भी नाम इस मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें संबंधित दस्तावेज फॉर्म के साथ बीएलओ की बजाय सीधे ईआरओ ऑफिस में जमा करवाने होंगे।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं गणना प्रपत्र : गणना प्रपत्र ऑनलाइन माध्यम से मतदाता स्वयं भी भर सकते हैं या ई-मित्र के माध्यम से भरवा सकते हैं। ऑनलाइन गणना प्रपत्र का लिंक 4 नवंबर को आएगा जो यथासमय पर शेयर कर दिया जाएगा।

दैनिक भास्कर

बारां 03-11-2025

अंता विधानसभा उपचुनाव में होम वोटिंग में पहले दिन 78 लोगों ने किया मतदान

बारां| अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के तहत रविवार को 78 मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए घर बैठे ही मतदान किया। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा होम वोटिंग के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान का अवसर दिया है। प्रथम चरण की होम वोटिंग 2 से 5 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। पहले दिन 78 पात्र मतदाताओं ने अपने घर से ही पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान किया। इनमें 51 बुजुर्ग व 27 दिव्यांग मतदाता रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर एवं एसपी अभिषेक अंदासु ने अंता क्षेत्र में पहुंचकर होम वोटिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने 90 वर्षीय मांगीबाई एवं 89 वर्षीय कल्याणीबाई के घर पहुंचकर होम वोटिंग को देखा और ऐसे मतदाताओं से संवाद किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग के तहत 10 विशेष मतदान दल गठित किए हैं। जो

अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की होम वोटिंग 7 से 8 नवंबर को करवाई जाएगी। कुल दो चरणों में 319 मतदाता इस विशेष व्यवस्था के तहत मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा सके। होम वोटिंग के निरीक्षण के दौरान एआरओ मंजूर अली, एपीआरओ मोहन लाल, निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि भी साथ रहे।

दैनिक भास्कर
झुंझुनू भास्कर 03-11-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक

सुलताना | विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुलताना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गिडानिया, नगर कांग्रेस कमेटी सुलताना व मंडल अध्यक्षों की बैठक रविवार को हुई। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष पवन गाडिया ने की। ब्लॉक अध्यक्ष सुमेर सिंह महला ने राजस्थान में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की जानकारी दी। इस संबंध में पीसीसी द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी भी दी गई जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त बीएलए व बूथ अध्यक्षों को अपने बूथ के सरकारी बीएलओ से मिलकर कर 4 नवंबर से घर-घर जाकर परिगणना फॉर्म भरवाना, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाना तथा पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदारियां दी गईं। बैठक में ब्लॉक उपाध्यक्ष विजयपाल, लोदीपुरा मंडल अध्यक्ष जगदीश प्रसाद रैगर, विजय सिंह लाखलाण, श्रीचंद भेड़ा, सुदेश शीशियां, सुरेंद्र सिंह, नगर कांग्रेस संगठन महामंत्री इंद्र कुमार, कांग्रेस प्रदेश सचिव हुसैन सुल्तानिया, हाजी हसीमुद्दीन, पूर्व सरपंच राजेश पूनिया, नगर उपाध्यक्ष मोसिम, फखरुद्दीन, रहमान आदि मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर

मेड़ता भास्कर 03-11-2025

मतदाता सूचियों को अति सटीक बनाने के लिए एसआईआर जारी, अभी तक 72.36% मैपिंग पूरी

भास्कर न्यूज | नागौर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नागौर जिले में मतदाता सूची को पूर्णत सटीक पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 7 फरवरी तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अरुण कुमार पुरोहित ने रविवार को एसआईआर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 72.36 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है।

कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित।

ये है जिले में मतदाताओं की स्थिति

कलेक्टर पुरोहित ने बताया कि वर्ष 2025 में नागौर जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14,15,073 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसके लिए 1294 मतदान केंद्र और उतने ही बीएलओ कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 1294 बीएलओ घर-घर संपर्क करके सूची अद्यतन करने का कार्य कर रहे हैं। एसआईआर से मतदाता सूची और अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन होगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में बीएलओ का सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीएलओ स्वयं उनके पास पहुंचेंगे और कार्यवाही संपादित करवाएंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिला प्रशासन का लक्ष्य शत-प्रतिशत मैपिंग पूर्ण करना है।

ड्राफ्ट प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा

दावे एवं आपत्तियां: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएंगी।

अंतिम सूची: 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मैपिंग कर रहे हैं

बीएलओ पिछली सूची के आधार पर पारिवारिक संबंधों की मैपिंग कर रहे हैं।

एसआईआर का सबसे महत्वपूर्ण चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा

उन्होंने कहा कि व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक घर तक पहुंचेंगे, और हर क्षण कार्य की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। डीईओ पुरोहित ने बताया कि एसआईआर का सबसे महत्वपूर्ण चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि में अधिकांश मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।

पत्रिका

पुनरीक्षण अभियान: 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट किया जाएगा प्रकाशित

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सिरोही. बैठक में मौजूद जिला कलक्टर व अन्य।

सिरोही . जिले में मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अल्पा चौधरी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ की ओर से मतदाता सूची के प्रत्येक नाम, पते एवं परिवार की शुद्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके उपरांत 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल ने अवगत करवाया कि आगामी 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। इसके तहत 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा।

इसके उपरांत 4 नवम्बर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी।

7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों को सूचना, मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन प्रपत्र भरने को बढ़ावा देने एवं आईईसी सामग्री के प्रकाशन को लेकर विस्तृत चर्चा के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में केवल जिला निर्वाचन अधिकारी ही जिला स्तर पर अधिकृत प्रवक्ता होंगे।

ईसीआईनेट एप एवं वेबसाइट लांच

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ईसीआईनेट एप एवं वेबसाइट लांच की गई हैं। इसमें बुक ए कॉल विद बीएलओ का फीचर भी उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से मतदाता बीएलओ से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जिला प्रशासन की वेबसाइट से संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को वीसी के माध्यम से जिले के समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पत्रिका

सतरंगी सप्ताह की शुरूआत, लोक नृत्य और नुक्कड़ नाटक से मतदाताओं को किया जागरुक

अन्ता. स्वीप अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के तहत नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक करते हुए। पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

अन्ता. अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के तहत जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को सात दिवसीय सतरंगी सप्ताह की शुरुआत की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर तथा जिला परिषद सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में आरंभ हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन-जन तक मतदान का संदेश पहुंचाना है। स्वीप सह प्रभारी अमित भार्गव ने बताया कि सतरंगी सप्ताह के प्रथम दिवस रविवार को "हम भी नाचेंगे, गाएंगे-वोट डालकर आएंगे" थीम पर मतदान जागरूकता लोक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपखंड मुख्यालय अंता में एसडीएम हवाई सिंह यादव व बीडीओ राधेश्याम भील के मार्गदर्शन में शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लोक नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। इनमें मायड़ भाषा हाड़ौती के संवादों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया गया। इसी क्रम में मांगरोल में उपखंड अधिकारी सौरभ भाम्बू, ईओ भावेश रजक एवं विकास अधिकारी सुरेश गोदारा के सानिध्य में शहर के व्यस्ततम स्थलों पर मतदाता जागरूकता गीतों और लोक नृत्य के जरिये 11 नवम्बर को अधिकाधिक मतदान करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से पीवीटीजी और ट्रांसजेंडर मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें भी मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सीबीईओ ममता चौधरी, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं, स्वीप सदस्य रामचरण मीणा, ओम मेरोठा, सुरभि खंडेलवाल, विकास मालव सहित कई वॉलंटियर उपस्थित रहे। राजीविका डीपीएम राजीव तोमर ने बताया कि अंता क्षेत्र के विभिन्न ग्राम संगठनों में महिलाओं ने मेहंदी, रंगोली एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूकता फैलाई। आगामी दिनों में भी इसी प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन कर अधिकाधिक मतदान का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

पत्रिका

अधिकारियों की समझाइश पर किया फैसला

सहमति के बाद ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का निर्णय वापस लिया

बोहत. पाड़लिया गांव में समझाइश करते प्रशासनिक अधिकारी। पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बोहत. अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत क्षेत्र के हिंगोनिया ग्राम पंचायत के ग्राम पाड़लिया में ग्रामीणों द्वारा समस्या का समाधान नहीं होने पर किया गया वोट बहिष्कार वापस ले लिया गया है। गांव की बालाजी बगीची में रविवार को हुई बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार बृजेश कुमार शिहरा, पंचायत समिति विकास अधिकारी सुरेश गोदारा हल्का राजस्व पटवारी प्रदीप सिंह राठौड़ ,पाड़लिया मे पहुंचे वहाँ उपस्थित लक्ष्मण सिंह, सियाराम अग्रवाल, यतन सिंह यादव, अक्षत पाटीदार, तुलसीराम रूहेला, बिरदीलाल राजोरा, देवकरण नागर, रामचरण नागर, प्रेम शंकर गालव, धीरज सिंह, गिरधर गालव, नितेश गालव, सत्यनारायण गुर्जर, सूरज

सिंह नरूका, जुगराज सिंह, हजारी लाल सुमन सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रशासन ने ग्रामीणों से वार्ता की।

इन पर बनी सहमति

इस दौरान पक्की सडक का निर्माण करने, खेतों में जाने का रास्ता, नहर के रास्ते का निर्माण करने, स्कूल के आगे तलाई की चारदिवारी का निर्माण, गांव के मुख्य रास्तों की सफाई करने आदि अन्य मांगों पर सहमति दी। इनमें ग्रामवासियों के खेतों पर जाने के रास्ते पर मुरम डलवाने के लिए विकास अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही गांव को पंचायत मुख्यालय से सीधा जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्ताव भेजा हुआ है। चुनाव आचार संहिता हटते ही उच्च स्तर पर चर्चा कर प्रस्ताव स्वीकृत होते ही सभी कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया। अन्य जो भी गांव वालों की समस्या है, सभी पर ध्यान देने की बात कही गई। इसके बाद आगामी 11नवम्बर को विधानसभा के उपचुनाव बहिष्कार समाप्त की घोषणा हुई। अधिकारियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि मतदान आपका अधिकार ही नहीं, बल्कि विकास की दशा में पहला कदम है। जिस पर सभी ग्रामीण राजी होकर 11 नवम्बर को मतदान करने को तैयार हो गए।

पत्रिका

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों की कार्यशाला आयोजित

बारां @ पत्रिका. आगामी निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के अंतर्गत बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों की आमुखीकरण कार्यशाला शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जाए और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाया जाए ताकि निर्वाचक नामावली त्रुटिरहित तैयार हो सके। सभी बीएलओ से कहा गया कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता, निष्पक्षता और समयबद्धता से पूरा करें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर बारां व अटरू के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में प्रशिक्षक सुनील शर्मा, ऋचा वर्मा व पूनम गौतम ने बीएलओ व सुपरवाइजरों को मतदाता सूची संशोधन, सत्यापन, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा विशेष अभियान की जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि नए नाम जोड़ने, मृतकों व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा विवरण संशोधन के कार्य किए जाएंगे।

03/11/2025 | Baran | Page : 4
Source :
https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

अंता विधानसभा उपचुनाव : मतदान दल पहुंचे बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के दर

होम वोटिंग : घर पर दस्तक देकर ली लोकतंत्र में आहुति

पहले दिन डीईओ और एसपी पहुंचे मतदाताओं के घर, देखी मतदान करने की प्रक्रिया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के तहत रविवार से होम वोटिंग शुरू हो गई। इसके तहत बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर चुनाव टीम वोट ले रही है। जिला निर्वाचन विभाग ने होम वोटिंग के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान का अवसर प्रदान किया है।

5 तक चलेगी

प्रथम चरण की होम वोटिंग 5 नवम्बर तक कराई जाएगी। पहले दिन 78 पात्र मतदाताओं ने अपने घर से ही पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान किया। इनमें 51 बुजुर्ग व 27 दिव्यांग मतदाता रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने अंता क्षेत्र में पहुंचकर होम वोटिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने 90 वर्षीय मांगी बाई एवं 89 वर्षीय कल्याणी बाई के घर पहुंचकर होम वोटिंग को देखा और उनसे से संवाद किया।

लो...हमने तो कर दिया मतदान

बारां. अंता में वोट डालती 89 वर्षीय कल्याणी बाई और 90 वर्षीय मांगी बाई।

बारां. होम वोटिंग के लिए रवाना होते मतदान दल। पत्रिका

10 दलों का किया गठन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग के अंतर्गत 10 विशेष मतदान दल गठित किए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की होम वोटिंग 7 से 8 नवम्बर को करवाई जाएगी। कुल दो चरणों में 319 मतदाता इस विशेष व्यवस्था के तहत मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा सके। होम वोटिंग के निरीक्षण के दौरान एआरओ मंजूर अली, एपीआरओ मोहन लाल, निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि भी साथ रहे।

पत्रिका

विशेष गहन पुनरीक्षण : मतदाता सूची होगी और अधिक सटीक, पारदर्शी और अपडेट होगी

एसआईआर : नागौर जिले में 72.36 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य हो चुका पूरा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नागौर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरुण कुमार पुरोहित ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण किया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक की जानकारी सटीक रूप से एकत्र की जा सके।

7 फरवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

डीईओ पुरोहित ने बताया कि 9 दिसम्बर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा, ताकि नागरिक अपनी प्रविष्टियों की जांच कर सकें और आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकें। 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जबकि 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज के दौरान प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जिससे जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की सूचियां अद्यतन रूप में उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में कुल 1294 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें 1294 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कार्यरत हैं, जो घर-घर संपर्क, मतदाता सूची का अद्यतन तथा फॉर्म भरवाने का कार्य कर रहे हैं। सभी बीएलओ और उनके पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

अधिकांश मतदाताओं से नहीं लेना पड़ेगा कोई दस्तावेज

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकांश मतदाताओं से कोई डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीएलओ 2002 की सूची के आधार पर मतदाताओं की मैपिंग कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति से दस्तावेज लेना जरूरी हो तो वह बीएलओ को सहयोग करें। जिले में अब तक 72.36 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। जिला प्रशासन का प्रयास यही है कि एसआईआर के अंतर्गत प्रत्येक पात्र मतदाता की मैपिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो। उन्होंने यह भी कहा है कि एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही एक मतदाता केवल एक गणना प्रपत्र ही भर सकते हैं, जिससे मतदाता सूचियों में डुप्लिकेसी भी दूर होगी।

सुपरवाइजर, ईआरओ, डीईओ से लेकर सीईओ स्तर तक कड़ी निगरानी

पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में प्रत्येक बूथ पर औसतन 1093 निर्वाचक पंजीकृत हैं, जबकि जिले में पांच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) - नागौर, जायल, खींवसर, डेगाना और मेड़ता तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) नियुक्त किए गए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ प्रतिदिन अपनी कार्य प्रगति का अभिलेखन कर रहे हैं, जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर कार्य का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया है, ताकि सभी चरणों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। सभी राज्यों की मतदाता सूचियां ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में यदि किसी मतदाता के माता-पिता या दादा-दादी का नाम सम्मिलित है तो उनके सटीक पारिवारिक संबंधों के आधार पर मैपिंग किया जा रहा है। उन्होंने ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में बीएलओ हर घर पहुंचेंगे और आसानी से कार्रवाई संपादित करवाएंगे। आमजन को इस कार्य के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बीएलओ आपके पास खुद पहुंचेंगे।

ईवीएम मशीनों का किया द्वितीय रेण्डमाईजेशन

बारां, 2 नवंबर (हाड़ौती संचार)।

अंता विधानसभा उप चुनाव में उपयोग ली जाने वाली ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन रविवार को मिनी सचिवालय सभागार में किया गया। इस दौरान पर्यवेक्षक सुभाश्री नन्दा, पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गम्भीर, जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि निर्वाचन में पारदर्शिता के तहत 11 नवम्बर को मतदान में उपयोग ली जाने वाली वोटिंग मशीनों का कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से दूसरा रेण्डमाइजेशन किया गया है। इनमें से 268 ईवीएम मतदान बूथों के लिए निर्धारित की गई। इसके अलावा ईवीएम की 80-80 कंट्रोल यूनिट व बैलट यूनिट तथा 107 वीवीपैट रिजर्व रखी गई हैं।

आयोग की वेबसाइट के सिटीजन सेंटर कॉर्नर से देखी जा सकती हैं मतदाता सूचियां : एसडीएम

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक

अनूपगढ़। उपखंड कार्यालय में एसडीएम सुरेश राव की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे, जिसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र एवं भाग संख्या अंकित होगी।

मतदाता को इस प्रपत्र पर अपनी रंगीन फोटो चिपकानी होगी। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को अपने विवरण की पुष्टि करने और आवश्यक संशोधन करने में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूची ऑनलाइन देखी जा सकती है। इस पोर्टल पर 2002 की राजस्थान सहित अन्य राज्यों की मतदाता सूचियां भी उपलब्ध हैं। मतदाता चाहें तो परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बैठक में बताया गया कि गणना पूर्ण होने के बाद जिन मतदाताओं का विवरण एसआईआर से लिंक नहीं हो पाएगा, उन्हें ईआरओ और एईआरओ द्वारा नोटिस जारी कर पात्रता जांच की जाएगी। पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में जोड़े जाएंगे, जबकि अपात्रों के नाम हटाए जाएंगे। एसडीएम ने राजनीतिक दलों से कहा कि जो दल अब तक बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं, वे शीघ्र नियुक्ति कर सूचना भेजें। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नागरिक अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट नामों पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर): नागौर में रविवार तक 72.36 प्रतिशत मैपिंग पूर्ण

प्रत्येक मतदाता की हो रही मैपिंग, व्यवस्था ऐसी कि बीएलओ पहुंचेंगे प्रत्येक घर, हर क्षण हो रही सतत मॉनिटरिंग- जिला निर्वाचन अधिकारी

एसआईआर से मतदाता सूची होगी और अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन : पुरोहित

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने रविवार को एसआईआर को लेकर दी जानकारी

4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण,इस अवधि में किसी को नहीं देने होंगे दस्तावेज

ढोलामारू न्यूज

नागौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो गई है जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरुण कुमार पुरोहित ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण किया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक की जानकारी सटीक रूप से एकत्र की जा सके।

डीईओ पुरोहित ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा, ताकि नागरिक अपनी प्रविष्टियों की जांच कर सकें और आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकें। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएगी, जबकि 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज के दौरान प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जिससे जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की सूचियां अद्यतन रूप में उपलब्ध होंगी। पुरोहित ने बताया कि वर्ष 2025 में नागौर जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14,15,073 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें जायल विधानसभा में 2,71,876 नागौर में 2,82,950 खींवसर में 2,92,047 मेड़ता में 2,94,690 तथा डेगाना विधानसभा क्षेत्र में

2,73,510 मतदाता शामिल हैं। जिले में वर्तमान में कुल 1294 मतदान केन्द्र हैं,

जिले में 1294 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कार्यरत हैं जो घर-घर संपर्क, मतदाता सूची का अद्यतन तथा फॉर्म भरवाने का कार्य कर रहे हैं। सभी बीएलओ और उनके पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रिफ्रेशर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि अधिकांश मतदाताओं से कोई डॉक्युमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीएलओ 2002 की सूची के आधार पर मतदाताओं की मैपिंग कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से दस्तावेज लेना जरूरी हो तो वह बीएलओ को सहयोग प्रदान करें।

सुपरवाइजर, ईआरओ, डीईओ से लेकर सीईओ स्तर तक कड़ी निगरानी

डीईओ पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में प्रत्येक बूथ पर औसतन 1093 निर्वाचक पंजीकृत हैं, जबकि जिले में पांच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) - नागौर, जायल, खींवसर , डेगाना और मेड़ता तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) नियुक्त किए गए हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बीएलओ प्रतिदिन अपनी कार्य प्रगति का अभिलेखन कर रहे हैं, जिसके आधार पर ईआरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर कार्य का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया है ताकि सभी चरणों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। सभी राज्यों की मतदाता सूचियां ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

हर घर तक पहुंचेंगे बीएलओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं

जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में यदि किसी मतदाता के माता-पिता या दादा-दादी का नाम सम्मिलित है तो उनके सटीक पारिवारिक संबंधों के आधार पर मैपिंग किया जा रहा है, जिससे अधिकांश मतदाताओं से दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह पुनरीक्षण अभियान पूर्णतः पारदर्शी, सम्मावेशी एवं नागरिक सहभागिता पर आधारित रहे ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में बीएलओ हर घर पहुंचेंगे और आसानी से कार्यवाही संपादित करवाएंगे। आमजन को इस कार्य के लिए कहीं भी जाने की जरुरत नहीं है। बीएलओ आपके पास खुद पहुंचेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में अब तक 72.36 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। जिला प्रशासन का प्रयास यही है कि एसआईआर के अंतर्गत प्रत्येक पात्र मतदाता की मैपिंग का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो। उन्होंने यह भी कहा है कि एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक मतदाता केवल एक गणना प्रपत्र ही भर सकते हैं, जिससे मतदाता सूचियों में डुप्लिकेसी भी दूर होगी।

एसआईआर के काम में लापरवाही पर बीएसओ सस्पेंड

अधिकारियों का आदेश नहीं माना, मैपिंग में गड़बड़ी कर रहा था

दिशा न्यूज। भरतपुर.

SIR को लेकर लापरवाही बरतने वाले BLO को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। BLO पेरेंटिंग मैपिंग में ढिलाई बरत रहा था और बीच बीच में मैपिंग छोड़ रहा था। शिकायत मिलने पर भरतपुर कलेक्टर कमर चौधरी ने संज्ञान लेते हुए रविवार को BLO शुभम परमार को सस्पेंड कर दिया।

अब BLO शुभम परमार का मुख्यालय कार्यालय उपखंड अधिकारी वैर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश दिए कि निर्वाचन संबंधी काम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्वाचन के काम में की थी लापरवाही–कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के तहत मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स–2025 पूर्ववर्ती विशेष गहन पुनरीक्षण–2022 किया जा रहा था। मतदाता सूची में BLO शुभम परमार द्वारा लापरवाही बरती गई थी। परमार के द्वारा प्रोजनी मैपिंग से संबंधित कामों उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की थी।

वोटर मैपिंग में एसआईआर वाले 12 राज्यों में राजस्थान सबसे आगे

बता दें कि SIR वाले राज्यों में मैपिंग में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान मेंस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) नेट पर कुल मैपिंग 49.37 प्रतिशत हो चुकी है। गुजरात में 5.73 प्रतिशत, यूपी में 13.41 प्रतिशत, एमपी में 20.09 प्रतिशत, तमिलनाडु में 21.62 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 24.27 प्रतिशत वोटर्स की ही मैपिंग हुई है।

एक घर पर तीन बार जाएंगे बीएलओ, इसके बाद नहीं मिलने नोटिस चस्पा होगा–बीएलओ घर–घर जाकर गणना फॉर्म (EF) भरेगा। हर वोटर को यह फॉर्म दिया जाएगा। कोई परिवार मान लीजिए बाहर गया हुआ है तो सामान्यतया वह एक महीने में वापस लौट आता है। बीएलओ हर घर पर जाकर तीन बार फॉर्म भरवाने का प्रयास करेगा। फिर भी कोई घर पर नहीं मिलते हैं तो बीएलओ फॉर्म घर पर डालकर नोटिस चस्पा करेगा। एक महीने में तीन बार बीएलओ जाएंगे।

बीएलओ कल से मतदाताओं के घर पहुंच प्रपत्र करेंगे संग्रहण व वितरण

मतदाता स्वयं एवं परिवार का गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकेंगे

बालोतरा @ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम बालोतरा जिले में 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं की पहचान और उनका सत्यापन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और गणना प्रपत्र मुद्रण का कार्य चलेगा, जबकि 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण करेंगे। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी तथा 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान बीएलओ, सुपरवाइजर, पीआरओ, एसडीएम, एआरओ और जिला प्रशासन के अधिकारी आमजन की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और उनके परिवारों को ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करें ताकि त्रुटि की संभावना कम हो और कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके। बीएलओ नए मतदाताओं के फॉर्म 6 और घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेंगे और ईआरओ/एईआरओ को रिपोर्ट सौंपेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गणना चरण के दौरान किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सांकेतिक दस्तावेज ही लिए जाएंगे। इनमें सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर या भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता, विशेष रूप से शहरी या अस्थायी प्रवासी मतदाता, ईएफ फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।

पायला कला में मतदाता सूची सत्यापन निर्देश दिए

सिणधरी @ पत्रिका. उपखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति सभागार में शनिवार को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी गुड़ामालानी ने पंचायत समिति पायला कला गुडामालानी विधानसभा की बैठक ली। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची के सत्यापन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतन एवं सत्यापन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होते ही मतदाता सूची को स्थिर कर दिया गया है, जिससे सूची में किसी भी प्रकार का अप्रत्याशित परिवर्तन न हो सके। सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी मगाराम माचरा ने बताया कि बैठक में 46 मतदान-स्थल स्तर अधिकारी और 5 पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का ऑनलाइन मानचित्रण मैपिंग किया जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदान-स्थल स्तर अधिकारी तीन चरणों में घर-घर जाकर मतदाताओं से आवश्यक विवरण प्राप्त करेंगे। इस कार्य में स्वयंसेवक शिक्षक भी मतदान-स्थल स्तर अधिकारियों की सहायता करेंगे।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर. फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों के नोडल, सहायक नोडल, तकनीकी और सहायक तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के लिए आयुक्त नगर निगम एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी को नोडल अधिकारी, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को सहायक नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) को तकनीकी अधिकारी और उपनिदेशक (एसीपी) को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया हैं।

जनरल एंड अकाउंट प्रकोष्ठ के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) को नोडल अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता को सहायक नोडल अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को तकनीकी अधिकारी और उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सहायक तकनीकी अधिकारी बनाया गया हैं। स्वीप प्रकोष्ठ के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। मीडिया एवं टेस्टिमोनियल जनरेशन प्रकोष्ठ में सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) नोडल अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सहायक अधिकारी और संयुक्त निदेशक (डीआर साइट), आईटी विभाग को तकनीकी अधिकारी बनाया गया हैं। ट्रेनिंग प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) को नोडल अधिकारी तथा बोरानाडा और बनाड़ के विद्यालय प्रधानाचार्यों को सहायक और तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। वहीं, इलेक्शन स्टोर प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) को सौंपी गई है।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्त

नवज्योति/जोधपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न कार्यों को समय पर एवं सुव्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा सहायक तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

निर्वाचन कार्यों की समयबद्धता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (रक्फ़) एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के लिए आयुक्त नगर निगम जोधपुर एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को नोडल अधिकारी, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को सहायक नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक (एसीपी), जिला कलक्टर जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जनरल एंड अकाउंट प्रकोष्ठ के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) को नोडल अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) जोधपुर को सहायक नोडल अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

निर्वाचन कार्यों की समयबद्धता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जोधपुर, 2 नवंबर (कासं)। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) जोधपुर गौरव अग्रवाल ने निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न कार्यों को समय पर एवं सुव्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा सहायक तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए नोडल एवं तकनीकी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के लिए आयुक्त नगर निगम जोधपुर एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को नोडल अधिकारी, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को सहायक नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक (एसीपी), जिला कलक्टर जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जनरल एंड अकाउंट प्रकोष्ठ के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) को नोडल अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) जोधपुर को सहायक नोडल अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

स्वीप प्रकोष्ठ के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मीडिया एवं टेस्टिमोनियल जनरेशन प्रकोष्ठ के लिए सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर को नोडल अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी जोधपुर को सहायक अधिकारी, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी, तथा संयुक्त निदेशक (डीआर साइट), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को तकनीकी अधिकारी नामित किया गया है।

निंग प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर प्रथम) को नोडल अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरानाडा को सहायक नोडल अधिकारी, तथा उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनाड़ को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इलेक्शन स्टोर प्रकोष्ठ के लिए जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी नामित अधिकारी अपने-अपने प्रकोष्ठों के कार्यों की समयबद्ध प्रगति, समन्वय एवं निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपादित हो सके।

दैनिक प्रतिनिधि

एसआईआर को लेकर कलेक्टर ने बनाई कमेटियां

जोधपुर(नसं)।जोधपुर में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर प्रशासनिक तैयारियां चल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर में नोडल, सहायक नोडल, तकनीकी व सहायक तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे पूरे जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य समय पर और पारदर्शी ढंग से पूरा हो सके।

प्रत्येक प्रकोष्ठ के अधिकारी अपने काम की मॉनिटरिंग करें––कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक प्रकोष्ठ के अधिकारी अपने काम की समयबद्ध मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और समन्वय सुनिश्चित करें, जिससे निर्वाचन कार्यों में किसी स्तर पर देरी या गड़बड़ी की स्थिति नहीं बने।एसआईआर कार्यक्रम के एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ में नगर निगम आयुक्त और अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) सहायक नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) तकनीकी अधिकारी और उप निदेशक (एसीपी) सहायक तकनीकी अधिकारी रहेंगे। जनरल एंड अकाउंट प्रकोष्ठ की कमान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम (प्रथम) के पास रहेगी। इनके साथ मुख्य लेखा अधिकारी, एनआईसी के जिला सूचना वैज्ञानिक और आईटी विभाग के उप निदेशक को

सहायक और तकनीकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

स्वीप प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी गई है। मीडिया और टेस्टिमोनियल जनरेशन प्रकोष्ठ के लिए सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) नोडल अधिकारी होंगे। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी और सहायक जनसंपर्क अधिकारी को सहायक नोडल बनाया गया है। ट्रेनिंग प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी एडीएम (शहर प्रथम) को दी गई है, जबकि इलेक्शन स्टोर प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी (द्वितीय)को सौंपी गई है।

सभी अधिकारी अपने–अपने प्रकोष्ठों के कार्यों पर नजर रखें– –कलेक्टर ने कहा कि नियुक्त सभी अधिकारी अपने–अपने प्रकोष्ठों के कार्यों पर नजर रखें और समय–समय पर रिपोर्ट पेश करें, जिससे फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रभावी और पारदर्शी बने।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए आदेश | निर्वाचन कार्यों की समयबद्धता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

महानगर संवाददाता

जोधपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर) जोधपुर गौरव अग्रवाल ने निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न कार्यों को समय पर एवं सुव्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा सहायक तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए नोडल एवं तकनीकी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के लिए आयुक्त नगर निगम जोधपुर एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को नोडल अधिकारी, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को सहायक नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक (एसीपी), जिला कलेक्टर जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनरल एंड अकाउंट प्रकोष्ठ के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) को नोडल अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) जोधपुर को सहायक नोडल अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

स्वीप प्रकोष्ठ के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मीडिया एवं टेस्टिमोनियल जनरेशन प्रकोष्ठ के लिए सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर को नोडल अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी जोधपुर को सहायक अधिकारी, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी, तथा संयुक्त निदेशक (डीआर साइट), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को तकनीकी अधिकारी नामित किया गया है। ट्रेनिंग प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर प्रथम) को नोडल अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरानाडा को सहायक नोडल अधिकारी, तथा उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनाड़ को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इलेक्शन स्टोर प्रकोष्ठ के लिए जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी नामित अधिकारी अपने-अपने प्रकोष्ठों के कार्यों की समयबद्ध प्रगति, समन्वय एवं निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपादित हो सके।

एसआईआर के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

निर्वाचन कार्यों की समयबद्धता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

विश्वास एक्सप्रेस

जोधपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल ने निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के विभिन्न कार्यों को समय पर एवं सुव्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा सहायक तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के लिए आयुक्त नगर निगम जोधपुर एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को नोडल अधिकारी, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को सहायक नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक (एसीपी), जिला कलक्टर जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनरल एंड अकाउंट प्रकोष्ठ के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) को नोडल अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) जोधपुर को सहायक नोडल अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को सहायक तकनीकी

अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्वीप प्रकोष्ठ के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मीडिया एवं टेस्टिमोनियल जनरेशन प्रकोष्ठ के लिए सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर को नोडल अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी जोधपुर को सहायक अधिकारी, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी, तथा संयुक्त निदेशक (डीआर साइट), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को तकनीकी अधिकारी नामित किया गया है। ट्रेनिंग प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर प्रथम) को नोडल अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरानाड़ा को सहायक नोडल अधिकारी, तथा उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनाड़ को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इलेक्शन स्टोर प्रकोष्ठ के लिए जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी नामित अधिकारी अपने-अपने प्रकोष्ठों के कार्यों की समयबद्ध प्रगति, समन्वय एवं निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपादित हो सके।

एसआईआर के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

निर्वाचन कार्यों की समयबद्धता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

हुक्मनामा समाचार

जोधपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) गौरव अग्रवाल ने निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के विभिन्न कार्यों को समय पर एवं सुव्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा सहायक तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के लिए आयुक्त नगर निगम जोधपुर एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को नोडल अधिकारी, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) को सहायक नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक (एसीपी), जिला कलक्टर जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनरल एंड अकाउंट प्रकोष्ठ के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) को नोडल अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) जोधपुर को सहायक नोडल अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जोधपुर को तकनीकी अधिकारी, तथा उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्वीप प्रकोष्ठ के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मीडिया एवं टेस्टिमोनियल जनरेशन प्रकोष्ठ के लिए सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर को नोडल अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी जोधपुर को सहायक अधिकारी, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी, तथा संयुक्त निदेशक (डीआर साइट), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जोधपुर को तकनीकी अधिकारी नामित किया गया है। ट्रेनिंग प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर प्रथम) को नोडल अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोरानाडा को सहायक नोडल अधिकारी, तथा उप प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनाड़ को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इलेक्शन स्टोर प्रकोष्ठ के लिए जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी नामित अधिकारी अपने-अपने प्रकोष्ठों के कार्यों की समयबद्ध प्रगति, समन्वय एवं निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपादित हो सके।

मतदाता स्वयं एवं अपने परिवार के गणना प्रपत्र को खुद ऑनलाइन भरें

बीएलओ 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण करेंगे

भास्कर न्यूज | बालोतरा

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्पेशल इनटेंसिव रिविजन कार्यक्रम जिले में 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं की पहचान व उनका आइडेंटिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस स्पेशल इनटेंसिव रिविजन के तहत पूरी मतदाता सूची का प्रोपर वेरिफिकेशन व एक्सरसाइज की जाएगी। इसमें बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर पीआरओ, एसडीएम, एआरओ से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार आमजन के लिए मौजूद रहेंगे। यदि किसी भी वोटर को अपना प्रपत्र भरने के लिए सहायक की आवश्यकता हो तो वह अपने नजदीकी बीएलओ या बीएलओ स्वयं सेवक के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को जागरुक करें एवं सुनिश्चित करें कि वो स्वयं एवं परिवार के गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरें ताकि गलती की संभावना कम हो और सभी की भागीदारी से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य को समयबद्ध पूर्ण किया जा सके। इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने बताया कि बीएलओ नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 व घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे और मिलान/लिंकिंग में सहायता करेंगे। मतदाता को ईएफ भरने में मदद करेंगे, उसे प्राप्त करेंगे और ईआरओ/एईआरओ को जमा करेंगे। उन्हें प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाना होगा। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे। मतदाता, विशेष रूप से शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईएफ के अलावा, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची 2002 में मैपिंग होने वाले मतदाताओं से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। मैपिंग से वंचित रह जाने वाले मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ को मतदाताओं से सांकेतिक दस्तावेज लिए जाने है।

को आर्थिक संबल मिला।

परामर्श लेकर बनाया गया है, जिसमें एक गौ वंश का इलाज हो सकता है।

वैष्णव व विजय त्रिवेदी सहित सदस्य उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने मीडियाकर्मियों को करवाया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से अवगत

मतदान सूची में कोई भी पात्र नागरिक छूटे नही, अपात्र शामिल न हो

सीमान्त केसरी न्यूज

बालोतरा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बंध में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील कुमार यादव ने मीडियाकर्मियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर सभी राज्यों की विगत एसआईआर मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव ने बताया कि बालोतरा जिले में कुल 8,12,266 मतदाता है। उन्होने बताया कि बीएलओ के माध्यम में 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का 89.34 प्रतिशत मैंपिंग किया जा चुका है। वहीं 40 वर्ष से कम आयु के मतदाताओं की 47.09 प्रतिशत मैंपिंग हो गई है। जिले में अब तक लगभग 90 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। इन्हें किसी भी तरह का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर-घर जाकर वर्तमान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। इस कार्य में बीएलए की मदद ... तथा वॉलियन्टर भी बीएलओ की मदद करेंगे। ... वि... मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म ... गा। एन्यूमरेशन फार्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो यह जुर्माने या कारावास से दंडनीय है। उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र मुद्रण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

दावे व आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। दस्तावेजों में आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दिखाने होंगे। आधार भी पहचान के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील कुमार यादव ने मीडियाकर्मियों के मतदाता

होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी पहले कौम होनी चाहिए अगर आपने

मतदाता स्वयं एवं अपने परिवार के गणना प्रपत्र को ऑनलाईन भरें

बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का करेगा कार्य

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार स्पेशल इनटेंसिव रिविजन कार्यक्रम बालोतरा जिले में 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं की पहचान और उनका आइडेंटिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस स्पेशल इनटेंसिव रिविजन के तहत पूरी मतदाता सूची का प्रोपर वेरिफिकेशन और एक्सरसाइज की जाएगी। इसमें बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर पीआरओ, एसडीएम, एआरओ से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार आमजन के लिए मौजूद रहेंगे। यदि किसी भी वोटर को अपना प्रपत्र भरने के लिए सहायक की आवश्यकता हो तो वह अपने नजदीकी बीएलओ या बीएलओ स्वयं सेवक के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को जागरूक करें एवं सुनिश्चित करें कि वो स्वयं एवं परिवार के गणना प्रपत्र ऑनलाईन भरें ताकि गलती की संभावना कम हो और सभी की भागीदारी से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य को समयबद्ध पूर्ण किया जा सके। इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियाँ प्रदान की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव ने बताया कि बीएलओ नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे और मिलान / लिंकिंग में सहायता करेंगे। मतदाता को ईएफ भरने में मदद करेंगें, उसे प्राप्त करेंगे और ईआरओ/एईआरओ को जमा करेंगे। उन्हें प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाना होगा। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगें। मतदाता, विशेष रूप से शहरी मतदाता / अस्थायी प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईएफ के अलावा, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

सांकेतिक दस्तावेजों की सूची

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची 2002 में मैपिंग होने वाले मतदाताओं से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। मैपिंग से वंचित रह जाने वाले मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ को मतदाताओं से सकितिक दस्तावेज लिए जाने है। जिसमें निम्न दस्तावेज शामिल है।

1. किसी भी केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकरणों / बैंकों / डाकघर/एलआईसी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र / प्रमाणपत्र / दस्तावेज ।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी मौजूद हो)
10. राज्य / स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस / खंड ककक दिनांक 09.09.2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13. दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश।

SIR : बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का करेगा कार्य

मतदाता स्वयं एवं अपने परिवार के गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भरें

नवज्योति/बालोतरा।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार स्पेशल इनटेंसिव रिविजन कार्यक्रम बालोतरा जिले में 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं की पहचान और उनका आइडेंटिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा।

4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा। जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस स्पेशल इनटेंसिव रिविजन के तहत पूरी मतदाता सूची का प्रोपर वेरिफिकेशन और एक्सरसाइज की जाएगी।

इसमें बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर पीआरओ, एसडीएम, एआरओ से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार आमजन के लिए मौजूद रहेंगे। यदि किसी भी वोटर को अपना प्रपत्र भरने के लिए सहायक की आवश्यकता हो तो वह अपने नजदीकी बीएलओ या बीएलओ स्वयं सेवक के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को जागरूक करें एवं सुनिति करें कि वो स्वयं एवं परिवार के गणना प्रपत्र ऑनलाईन भरें ताकि गलती की संभावना कम हो और सभी की भागीदारी से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य को समयबद्ध पूर्ण किया जा सके।

इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियाँ प्रदान की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव ने बताया कि बीएलओ नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे और मिलान / लिंकिंग में सहायता करेंगे। मतदाता को ईएफ भरने में मदद करेंगें, उसे प्राप्त करेंगे और ईआरओ/ एईआरओ को जमा करेंगे। उन्हें प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाना होगा। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगें। मतदाता, विशेष रूप से शहरी मतदाता / अस्थायी प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ईएफ के अलावा, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

सांकेतिक दस्तावेजों की सूची

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची 2002 में मैपिंग होने वाले मतदाताओं से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। मैपिंग से वंचित रह जाने वाले मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ को मतदाताओं से सांकेतिक दस्तावेज लिए जाने है। जिसमें निम्न दस्तावेज शामिल है।

दैनिक भास्कर पाली जिला 03-11-2025

जैतारण: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर बैठक 4 नवंबर को

भास्कर न्यूज | जैतारण

निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जैतारण विधानसभा क्षेत्र के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक 4 नवंबर को शाम 4 बजे उपखंड कार्यालय में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा करेंगे। इसमें जैतारण विधानसभा में 4 नवंबर से आरंभ हो रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर प्रक्रिया और आवश्यक निर्देशों की जानकारी दी जाएगी।

दैनिक भास्कर
जैसलमेर-पोकरण भास्कर 03-11-2025

कार्यक्रम • 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का होगा प्रकाशन, वोटर्स की मैपिंग की जाएगी

विशेष गहन पुनरीक्षण: कल से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा

भास्कर न्यूज | जैसलमेर

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा।

इसके उपरांत 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट किया जाएगा। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार संबंधित कार्मिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रतापसिंह ने बताया कि आगामी 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। इसके तहत 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। इसके उपरांत 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके उपरांत 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस फेज रहेगा। जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके उपरांत 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

मतदाता सूचियां वेबसाइट पर की अपलोड उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियां https://voters-eci-g ov-in पर अपलोड कर दी गई है। इसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता पिता, दादा दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। इससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

जैसलमेर. कलेक्ट्रेट (फाइल फोटो)।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ईसीआईनेट एप एवं वेबसाइट लांच की गई है। इसमें बुक व कॉल विद बीएलओ का फीचर भी उपलब्ध है।

इसके माध्यम से मतदाता बीएलओ से सीधा संपर्क करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की वेबसाइट से संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क किया जा सकता है।

दैनिक भास्कर
सिरोही-आबूरोड भास्कर 03-11-2025

भास्कर खास 23 साल बाद चुनाव आयोग का पुनरीक्षण कार्यक्रम : घर-घर जा रहे बीएलओ, हर मतदाता की ले रहे जानकारी

दादा, पिता या मां वोटर लिस्ट में हैं तो उसी लिंक से आपकी एंट्री

भास्कर न्यूज | सिरोही (ग्रामीण)

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 23 साल बाद पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में बदलाव कर काफी सरल बनाया है। 2002 की मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता का अपडेशन सिर्फ उनका पासपोर्ट साइज फोटो से होगा। वहीं बहू की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उनकी मैपिंग उसके माता-पिता के साथ होगी। 23 साल बाद मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ हर पात्र मतदाता तक पहुंचेगा।

अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को आधुनिक बनाना, त्रुटियों को सुधारना, मृत, स्थानांतरित या दोहरे नामों को हटाना और पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ना है। प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। बीएलओ अपनी मर्जी से किसी का नाम नहीं हटा सकेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक चलेगी।

जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अब तक 71 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। यह उपलब्धि प्रशासन की पूरी टीम के साथ बीएलओ की मेहनत को जाती है। बीएलओ हर पात्र मतदाता तक पहुंच रहा है। जिले में 2025 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के पास बीएलओ जाएगा। गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने का आग्रह किया है।

वोटरलिस्ट : वह सब जो आपको जानना जरूरी है

सिर्फ एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा : जिले में बीएलओ एक महीने तक घर-घर दस्तक देगा। इसमें गणना प्रपत्र के साथ फॉर्म 6 भरेगा। एक

बीएलओ मतदाता के घर 3 बार आएगा। इस बार अधिकांश मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के आधार पर पारिवारिक मैपिंग कर रहे है। यदि किसी व्यक्ति से दस्तावेज लेना जरूरी हो तो वह सिर्फ सत्यापन के लिए होगा। यदि आपके दादा, पिता या माता का नाम पुरानी सूची में है तो उसी पारिवारिक लिंक से आपकी एंट्री हो जाएगी।

पहचान के लिए ये दस्तावेज मान्य : आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी या पीएसयू आईडी, पेंशन भुगतान आदेश, वन अधिकार पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण-पत्र और नागरिक रजिस्टर आदि दिखाए जा सकते हैं।

किस विधानसभा में कितने मतदाता

- सिरोही विधानसभा क्षेत्र में 314634 मतदाता।
- पिंडवाड़ा-आबू विधानसभा क्षेत्र में 240612 मतदाता।
- रेवदर विधानसभा क्षेत्र में 298542 मतदाता।
- कुल मतदाता 853788

जिले में बीएलओ पर एक नजर

- सिरोही विधानसभा क्षेत्र में 282 बीएलओ।
- पिंडवाड़ा-आबू विधानसभा क्षेत्र में 215 बीएलओ।
- रेवदर विधानसभा क्षेत्र में 262 बीएलओ।
- कुल बीएलओ 759

एसआई अभियान पर एक नजर

- **28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 :** प्रशिक्षण व गणना प्रपत्रों की छपाई।
- **4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025:** घर-घर जाकर प्रपत्रों का वितरण व संग्रहण।
- **9 दिसंबर 2025:** मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन।
- **9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026:** दावे एवं आपत्तियां स्वीकार करने का चरण।
- **9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026:** नोटिस फेज- आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन।
- **7 फरवरी 2026:** अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

दैनिक भास्कर
डूंगरपुर भास्कर 03-11-2025

भास्कर खास प्री टेस्ट, गलियाकोट तहसील में 1 से 7 नवंबर तक जनगणना

जनगणना-2027; 64 गांवों में हर परिवार की 34 तरह की जानकारियां भरी जाएगी

भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर

जनगणना 2027 का प्री-टेस्ट जिले में शुरू हो गया है। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें मोबाइल एप का उपयोग किया जाएगा। प्री-टेस्ट के पहले चरण में चयनित लोगों को स्व गणना का विकल्प दिया जा रहा है। प्री-टेस्ट में 10 से 30 नवंबर तक घर-घर जाकर 34 तरह के सवाल पूछे जाएंगे और जानकारी मोबाइल में ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस प्री-टेस्ट के लिए डूंगरपुर जिले की गलियाकोट तहसील के 64 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। डिजिटल जनगणना से

आंकड़ों की सटीकता और गोपनीयता बढ़ेगी। मोबाइल एप पर परिवार की जानकारी सबमिट करते ही सुपरवाइजर के पास पहुंच जाएगी। इसमें कोई कमी होने पर सुपरवाइजर उसे तुरंत ठीक करवा सकेगा। 1 से 7 नवंबर तक गलियाकोट तहसील के लोगों को स्व गणना का विकल्प दिया जा रहा है, जिसमें वे एप पर स्वयं जनगणना से संबंधित प्रश्नोत्तर भर सकते हैं। प्रगणक 10 नवंबर से फील्ड में जाकर लोगों की ओर से भरी जानकारी का सत्यापन करेंगे और इसमें त्रुटि होने पर परिवार के मुखिया से सहमति के बाद संशोधन किया जा सकेगा। प्री-टेस्ट के लिए प्रगणक व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 3 से 5 नवंबर तक सनराइज एकेडमी उमावि उमिया नगर चीतरी में होगा। प्रशिक्षण से पूर्व की तैयारी के लिए उपनिदेशक डॉ. पुलकेश शर्मा, सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड प्रथम लोकेश मीना जनगणना कार्य निदेशालय के मार्गदर्शन में ऑनलाइन मैपिंग व ब्लॉक आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

पत्रिका

दूसरे जिलों में तैनात कर्मचारियों के लिए होगी आसानी

घर से दूर रहकर भी भर सकेंगे मतदाता गणना प्रपत्र

चित्तौड़गढ़. अब घर से दूर दूसरे जिलों में या राज्यों में व्यापारी या नौकरी करने वाले भी ऑन लाइन गणना प्रपत्र भर सकेंगे। वह अपने मोबाइल या कप्यूटर से खुद भी ऑनलाइन गणना प्रपत्र (ईएफ) भर सकेंगे। प्रदेश में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 की शुरुआत होगी। इसके तहत मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा और प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने विवरण की जांच करने तथा आवश्यक संशोधन कराने का अवसर मिलेगा। इस बार निर्वाचन विभाग ने तकनीकी सुविधा बढ़ाते हुए यह व्यवस्था की हैं कि जिन मतदाताओं के नाम और पते पहले से सही हैं, वे भी घर बैठे ऑनलाइन गणना प्रपत्र (ईएफ) भरकर अपने विवरण की पुष्टि कर सकते हैं। ऐसे में मतदाताओं को मतदान केंद्र या बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।

इस तरह से होगी पूरी प्रक्रिया

- भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं या अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें।
- पहले से खाता नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट विकल्प चुनें।इपिक नंबर डालें, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज कर ओटीपी से सत्यापन करें।
- जिनका नाम व पता पहले से सही है, वे गणना प्रपत्र में केवल जानकारी की पुष्टि लिए डिटेल वेरीफाइड पर क्लिक करें।
- जिस मतदाता का खुद, माता-पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में हैं। उनको खुद की नई फोटो अपलोड करनी होगी। जिनका नाम नहीं है उनको अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद एकनोलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
- वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप में ट्रेक एप्लीकेशन स्टेटस के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रपत्र सत्यापित हुआ या नहीं। सत्यापन के बाद निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची में विवरण की पुष्टि करेंगे।

इनका कहना है

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति की गई है। जिन नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई हो, वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तय प्रक्रिया अपनाकर आम मतदाता खुद भी ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसे बहुत सरल बनाया है।

आलोक रंजन, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

03/11/2025 | Chittorgarh | Page : 9
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

दूसरे जिलों में तैनात कर्मचारियों के लिए होगी आसानी

घर से दूर रहकर भी भर सकेंगे मतदाता गणना प्रपत्र

चित्तौड़गढ़. अब घर से दूर दूसरे जिलों में या राज्यों में व्यापारी या नौकरी करने वाले भी ऑन लाइन गणना प्रपत्र भर सकेंगे। वह अपने मोबाइल या कप्यूटर से खुद भी ऑनलाइन गणना प्रपत्र (ईएफ) भर सकेंगे। प्रदेश में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 की शुरुआत होगी। इसके तहत मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा और प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने विवरण की जांच करने तथा आवश्यक संशोधन कराने का अवसर मिलेगा। इस बार निर्वाचन विभाग ने तकनीकी सुविधा बढ़ाते हुए यह व्यवस्था की हैं कि जिन मतदाताओं के नाम और पते पहले से सही हैं, वे भी घर बैठे ऑनलाइन गणना प्रपत्र (ईएफ) भरकर अपने विवरण की पुष्टि कर सकते हैं। ऐसे में मतदाताओं को मतदान केंद्र या बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।

इस तरह से होगी पूरी प्रक्रिया

- भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं या अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें।
- पहले से खाता नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट विकल्प चुनें।इपिक नंबर डालें, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज कर ओटीपी से सत्यापन करें।
- जिनका नाम व पता पहले से सही है, वे गणना प्रपत्र में केवल जानकारी की पुष्टि लिए डिटेल वेरीफाइड पर क्लिक करें।
- जिस मतदाता का खुद, माता-पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में हैं। उनको खुद की नई फोटो अपलोड करनी होगी। जिनका नाम नहीं है उनको अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद एकनोलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
- वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप में ट्रेक एप्लीकेशन स्टेटस के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रपत्र सत्यापित हुआ या नहीं। सत्यापन के बाद निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची में विवरण की पुष्टि करेंगे।

इनका कहना है

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति की गई है। जिन नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई हो, वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तय प्रक्रिया अपनाकर आम मतदाता खुद भी ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसे बहुत सरल बनाया है।

आलोक रंजन, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

03/11/2025 | Chittorgarh | Page : 9
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

अंता विधानसभा उपचुनाव : मतदान दल पहुंचे बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के दर

होम वोटिंग : घर पर दस्तक देकर ली लोकतंत्र में आहुति

पहले दिन डीईओ और एसपी पहुंचे मतदाताओं के घर, देखी मतदान करने की प्रक्रिया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के तहत रविवार से होम वोटिंग शुरू हो गई। इसके तहत बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर चुनाव टीम वोट ले रही है। जिला निर्वाचन विभाग ने होम वोटिंग के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान का अवसर प्रदान किया है।

5 तक चलेगी

प्रथम चरण की होम वोटिंग 5 नवम्बर तक कराई जाएगी। पहले दिन 78 पात्र मतदाताओं ने अपने घर से ही पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान किया। इनमें 51 बुजुर्ग व 27 दिव्यांग मतदाता रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने अंता क्षेत्र में पहुंचकर होम वोटिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने 90 वर्षीय मांगी बाई एवं 89 वर्षीय कल्याणी बाई के घर पहुंचकर होम वोटिंग को देखा और उनसे से संवाद किया।

लो...हमने तो कर दिया मतदान

बारां. अंता में वोट डालती 89 वर्षीय कल्याणी बाई और 90 वर्षीय मांगी बाई।

बारां. होम वोटिंग के लिए रवाना होते मतदान दल। पत्रिका

10 दलों का किया गठन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग के अंतर्गत 10 विशेष मतदान दल गठित किए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की होम वोटिंग 7 से 8 नवम्बर को करवाई जाएगी। कुल दो चरणों में 319 मतदाता इस विशेष व्यवस्था के तहत मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा सके। होम वोटिंग के निरीक्षण के दौरान एआरओ मंजूर अली, एपीआरओ मोहन लाल, निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि भी साथ रहे।

शहर के 84 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को राहत, 2002 की सूची में नाम होने पर स्वत: जुड़ जाएगा

युवाओं की माता-पिता के नाम से होगी मेपिंग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

डूंगरपुर. शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों की बैठक नगर परिषद सभाभवन में तहसीलदार उज्ज्वल जैन, आयुक्त् प्रकाश इंडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बीएलओ, चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। चार नवंबर से चार दिसंबर 2025 तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुन: संग्रहण का कार्य होगा। नौ दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। नौ दिसंबर 2025 से आठ जनवरी तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। नौ दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा। इसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। सात फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने व ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

डूंगरपुर. बैठक में मौजूद अधिकारी एवं पार्षद।

कोई दस्तावेज देने की जरुरत नहीं

सभापति कलासुआ ने कहा कि जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है।

ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नहीं कराना पड़ेगा। उनका नाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। इसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक एक से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है। वह 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे और उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिनिधियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी। वहीं, गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भरा जा सकता है।

CS Scanned with CamScanner

पढ़ें @ पेज 09

डिजिटल जनगणना 2027 : 10 से 30 नवंबर तक घर-घर देंगे कार्मिक दस्तक, मोबाइल से सूचनाएं होंगी संग्रहित

गलियाकोट में होगा पहली डिजिटल जनगणना का प्री-टेस्ट

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

गलियाकोट. डिजिटल जनगणना प्री टेस्ट की तैयारियों में लगे अधिकारी।

डूंगरपुर/गलियाकोट. भारत की पहली डिजिटल जनगणना-2027 के प्री-टेस्ट के लिए राजस्थान के डूंगरपुर जिले की गलियाकोट तहसील के समस्त 64 राजस्व गांवों का चयन किया है। इसमें 211 प्रगणकों एवं सुपरवाईजरों को नियुक्त किया है।

यह 10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक घर-घर जाकर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए 34 तरह के सवाल पूछेंगे तथा मोबाईल के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे। जिला कलक्टर अंकितकुमार सिंह एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी के मार्गदर्शन में प्री-टेस्ट जनगणना 2027 के लिए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण तीन नवंबर से 5 नवंबर 2025 तक सनराईज एकेडमी उमावि उमियानगर चीतरी में होगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य के निदेशक एवं संयुक्त सचिव विष्णुचरण मल्लिक का दौरा भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश के किशनपोल और बाड़मेर तहसील में जनगणना का प्री टेस्ट किया जाएगा।

तैयारियां हुई शुरू

प्री-टेस्ट जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर उपनिदेशक डा. पुलकेश शर्मा, सांख्यिकी अन्वेषक लोकेश मीना आदि के मार्गदर्शन में तहसील गलियाकोट में जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रगणकों एवं सुपरवाईजरों के नियुक्ति आदेश एवं पहचान पत्र प्रशिक्षण बैचों एवं मकान सूचीकरण ब्लॉकों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया है। मकान सूचीकरण ब्लॉकों की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा रहा है।

अधिकारी जुटे

गलियाकोट उपखंड अधिकारी संजय चरपोटा ने बताया कि डिजिटल जनगणना के लिए प्रदेश के तीन जिलों में डूंगरपुर जिले की गलियाकोट तहसील का चयन हुआ है। तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। तहसीलदार अर्जुन गरासिया, नायब तहसीलदार दिनेशचंद्र डोडियार, प्रशासनिक अधिकारी नरेन्द्रसिंह चौहान, भू-अभिलेख निरीक्षक जयेश पाटीदार, वरिष्ठ सहायक प्रतीक दवे व रोशन पाटीदार आदि तैयारियों में जुटे हैं।

स्वयं भी कर सकेंगे मोबाइल से गणना

जनगणना 2027 के प्री-टेस्ट के लिए एक से सात नवंबर 2025 तक गलियाकोट तहसील के लोगों को स्व:गणना का विकल्प भी दिया जा रहा है। इसमें गलियाकोट तहसील के राजस्व गांवों के प्री टेस्ट में चयनित मकान सूचीकरण ब्लॉक के लोगों के द्वारा पोर्टल पर स्वयं के द्वारा जनगणना से संबंधित प्रश्नोत्तर भरे जाएंगे। इसका प्रगणकों द्वारा 10 नवंबर 2025 से फील्ड में जाकर सूचनाओं का सत्यापन किया जाएगा। इसमें त्रुटि होने पर परिवार के मुखिया से सहमति के उपरांत संशोधन किया जाएगा। मोबाइल द्वारा पोर्टल पर मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक द्वारा परिवार की जानकारी सबमिट करते ही सुपरवाइजर के पास पहुंच जाएगी। इसमें कोई कमी होने पर सुपरवाईजर उसे तुरंत ठीक करवा सकेगा। इससे हर दिन प्रगणक के क्षेत्रीय कार्य की नियमित समीक्षा होगी और अधिक से अधिक सटीक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी।

गोपनीयता नहीं होगी भंग

जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण के लिए पहले प्रगणक एक शीट पर 20 परिवारों की जानकारी भरता था। पर, अब एक परिवार की जानकारी भी एक साथ नहीं दिखेगी। भरी हुई जानकारी केवल सब्मिट की जा सकती है, जो जनगणना से जुड़े अधिकारियों तक ही पहुंचेगी। इस जानकारी को बाहर के किसी व्यक्ति को न तो शेयर किया जा सकता है और न एप पर स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है। इससे जानकारी की गोपनीयता बढ़ेगी।

ऑफलाइन भी होगा काम

फील्ड में काम करने वाले प्रगणक एप के माध्यम से ऑफलाइन भी डेटा दर्ज कर सकेंगे, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी सुगमता से जानकारी एकत्र की जा सके। इस ऑफलाइन दर्ज की गई जानकारी को इंटरनेट मिलते ही नियमित तौर पर सब्मिट किया जा सकेगा।

रीडर्स कनेक्ट | धंबोला थाने में मृतक की पत्नी ने सात जनों के खिलाफ ...

CS Scanned with CamScanner

पत्रिका

ईवीएम मशीनों का कंप्यूटर के माध्यम से रेण्डमाइजेशन

बारां @ पत्रिका. अंता विधानसभा उप चुनाव में उपयोग ली जाने वाली ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेण्डमाइजेशन रविवार को मिनी सचिवालय सभागार में किया गया। इस दौरान पर्यवेक्षक सुभाश्री नन्दा, पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गम्भीर, जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि निर्वाचन में पारदर्शिता के तहत 11 नवम्बर को मतदान में उपयोग ली जाने वाली वोटिंग मशीनों का कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरा रेण्डमाइजेशन किया गया है। इनमें से 268 ईवीएम मतदान बूथों के लिए निर्धारित की गई। इसके अलावा ईवीएम की 80-80 कंट्रोल यूनिट व बैलट यूनिट तथा 107 वीवीपैट रिजर्व रखी गई हैं।

बारां. ईवीएम मशीनों द्वितीय रेण्डमाइजेशन में मौजूद सदस्य। पत्रिका

03/11/2025 | Baran | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों की कार्यशाला आयोजित

बारां @ पत्रिका. आगामी निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के अंतर्गत बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजरों की आमुखीकरण कार्यशाला शनिवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला में मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जाए और अपात्र नामों को नियमानुसार हटाया जाए ताकि निर्वाचक नामावली त्रुटिरहित तैयार हो सके। सभी बीएलओ से कहा गया कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता, निष्पक्षता और समयबद्धता से पूरा करें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर बारां व अटरू के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में प्रशिक्षक सुनील शर्मा, ऋचा वर्मा व पूनम गौतम ने बीएलओ व सुपरवाइजरों को मतदाता सूची संशोधन, सत्यापन, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया तथा विशेष अभियान की जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि नए नाम जोड़ने, मृतकों व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा विवरण संशोधन के कार्य किए जाएंगे।

03/11/2025 | Baran | Page : 4
Source :
https://epaper.patrika.com/

डूंगरपुर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी राजनीतिक दलों के पार्षदों के साथ बैठक आयोजित

तहसीलदार, आयुक्त और सभापति ने सभी पार्षदों को राज्य निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देश की दी जानकारी

(अर्जेन्ट टाईम्स) डूंगरपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसाईआर) के संदर्भ में डूंगरपुर शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद सभा भवन में बैठक हुई। तहसीलदार उज्ज्वल जैन, आयुक्त प्रकाश डूंडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया चलेंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बीएलओ, चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुनः संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

2002 की सूची में शामिल वोटर को कोई दस्तावेज देने की जरुरत नहीं : एसआईआर की प्रक्रिया को समझने के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है। ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नहीं कराना पड़ेगा। उनका नाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एसआईआर में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण : एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र : उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्सडॉटईसीआईडॉटजीओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

वागड़दूत

रविवार 02 नवंबर

डूंगरपुर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी राजनीतिक दलों के पार्षदों के साथ बैठक आयोजित

तहसीलदार, आयुक्त और सभापति ने सभी पार्षदों को राज्य निर्वाचन विभाग के दिशा–निर्देश की दी जानकारी

(वागड़ दूत संवाददाता)

डूंगरपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम(एसाईआर) के संदर्भ में डूंगरपुर शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद सभाभवन में बैठक हुई। तहसीलदार उज्ज्वल जैन, आयुक्त प्रकाश डूडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया चलेंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रत्येक बीएलओ, चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुनः संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

एसआईआर की प्रक्रिया को समझने के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है। ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नही कराना पड़ेगा।

उनका नाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे।

2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एसआईआर में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण

एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की

ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी।

सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्सडॉटईसीआईडॉटजीओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

पार्षदों को तहसीलदार, आयुक्त और सभापति ने राज्य निर्वाचन विभाग के बताए निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर पार्षदों के साथ ली बैठक

न्यूज सर्विस/नवज्योति,डूंगरपुर

भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुन?रीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसाईआर) के संदर्भ में शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद सभाभवन में बैठक हुई।

तहसीलदार उज्ज्वल जैन, आयुक्त प्रकाश डूंडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया चलेंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बीएलओ, चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुनः संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरने, सही एवं पूरी जानकारी देने, नवीनतम फोटो लगाने, आधार नंबर देने, कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

डूंगरपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर सभी राजनीतिक दलों के पार्षदों के साथ बैठक में अधिकारी। - मयंक चौबीसा

2002 की सूची में शामिल वोटर दस्तावेज देने की जरूरत नहीं

एसआईआर की प्रक्रिया को समझने के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि, जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है। ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नही कराना पडेगा। उनका नाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तक, दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया प्रशिक्षण

एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होने, फेज वाइस वितरण होने, प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्य, दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्सडॉटईसी आईडॉटजी ओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि, ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

डूंगरपुर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी राजनीतिक दलों के पार्षदों के साथ बैठक आयोजित

तहसीलदार-आयुक्त और सभापति ने सभी पार्षदों को राज्य निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देश की दी जानकारी

आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर।

भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसाईआर के संदर्भ में डूंगरपुर शहर के राजनीतिक दलों के पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद सभाभवन में बैठक हुई। तहसीलदार उज्ज्वल जैन, आयुक्त प्रकाश डूंडी और सभापति अमृत कलासुआ के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से पूरे प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया चलेंगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बीएलओए चुनाव अधिकारी का प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक डूंगरपुर शहर के 40 वार्ड में घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण कर उनका पुन- संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को एसआईआर के तहत संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक इस सूची में दावे एवं आपत्तियां ली जायेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सभी मतदाताओं से पहले प्रयास में ही सही गणना प्रपत्र भरनेए सही एवं पूरी जानकारी देनेए नवीनतम फोटो लगानेए आधार नंबर देनेए कार्यरत मोबाइल नंबर देने तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की स्थिति में बीएलओ को जानकारी देने का अनुरोध किया।

2002 की सूची में शामिल वोटर को कोई दस्तावेज देने की जरुरत नही

एसआईआर की प्रक्रिया को समझने के बाद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि जिले में करीब 84 प्रतिशत से अधिक मतदाता का नाम 2002 की सूची में शामिल है। ऐसे में इस सूची में आने वाले वोटर को कोई दस्तावेज जमा नही कराना पड़ेगा। उनका न ाम खुद अगली सूची में शामिल होगा। शहर में बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र तीन फेज में दिए जाएंगे। जिसमें से पहले फेज में मतदाता क्रमांक 1 से 200 तकए दूसरे फेज में 201 से 600 क्रमांक तक तथा तीसरे फेस में शेष को गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र का संग्रहण चार श्रेणी के हिसाब से करेंगे। 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है वे 2002 की सूची में अपने माता अथवा पिता का नाम होने पर मैपिंग करवा सकेंगे तथा उन्हें स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एसआईआर में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण

एसआईआर प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए आयोग की ओर से शहर के सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मार्गदर्शन दिया गया है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी को गणना प्रपत्र क्रमांक वार प्रिंटिंग होनेए फेज वाइस वितरण होनेए प्रशासन द्वारा अब तक किए गए कार्यए दावे एवं आपत्ति होने पर नोटिस जारी करने की अवधि तथा अंतिम सूची प्रकाशन की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारी से भी दल अनुसार बीएलए नियुक्त करने तथा योगदान की जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा गणना प्रपत्र

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वॉटर्सडॉटईसीआईडॉटजीओवीडाटइन पर अपने मोबाइल नंबर से एंटर करते हुए ईपिक नंबर डालकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई कर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की स्थिति में बूथ लेवल अधिकारी के घर आने पर उसे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरे जाने की जानकारी से अवगत कराना होगा ताकि बूथ लेवल अधिकारी उसे सत्यापित कर सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने गणना प्रपत्र हेतु अनुबंध फर्म का किया निरीक्षण

(वागड़ दूत संवाददाता)

डूंगरपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत अनुबंधित फर्म प्रिन्टर्स का शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ द्वारा अनुबंध फर्म निष्कलंक स्टेशनर्स एण्ड फोटोस्टेट डूंगरपुर का निरीक्षण कर गणना प्रपत्र के प्रिन्टिंग कार्य का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गणना प्रपत्र के प्रिन्ट होने की प्रक्रिया जानी एवं प्रिन्टर फर्म को समय पर गणना प्रपत्र प्रिन्ट करके उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

ईवीएम मशीनों का किया द्वितीय रेण्डमाईजेशन

बारां, 2 नवंबर (हाड़ौती संचार)।

अंता विधानसभा उप चुनाव में उपयोग ली जाने वाली ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन रविवार को मिनी सचिवालय सभागार में किया गया। इस दौरान पर्यवेक्षक सुभाश्री नन्दा, पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गम्भीर, जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि निर्वाचन में पारदर्शिता के तहत 11 नवम्बर को मतदान में उपयोग ली जाने वाली वोटिंग मशीनों का कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से दूसरा रेण्डमाइजेशन किया गया है। इनमें से 268 ईवीएम मतदान बूथों के लिए निर्धारित की गई। इसके अलावा ईवीएम की 80-80 कंट्रोल यूनिट व बैलट यूनिट तथा 107 वीवीपैट रिजर्व रखी गई हैं।

एसआईआर के काम में लापरवाही पर बीएसओ सस्पेंड

अधिकारियों का आदेश नहीं माना, मैपिंग में गड़बड़ी कर रहा था

दिशा न्यूज। भरतपुर.

SIR को लेकर लापरवाही बरतने वाले BLO को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। BLO पेरेंटिंग मैपिंग में ढिलाई बरत रहा था और बीच बीच में मैपिंग छोड़ रहा था। शिकायत मिलने पर भरतपुर कलेक्टर कमर चौधरी ने संज्ञान लेते हुए रविवार को BLO शुभम परमार को सस्पेंड कर दिया।

अब BLO शुभम परमार का मुख्यालय कार्यालय उपखंड अधिकारी वैर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश दिए कि निर्वाचन संबंधी काम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्वाचन के काम में की थी लापरवाही–कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के तहत मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स–2025 पूर्ववर्ती विशेष गहन पुनरीक्षण–2022 किया जा रहा था। मतदाता सूची में BLO शुभम परमार द्वारा लापरवाही बरती गई थी। परमार के द्वारा प्रोजनी मैपिंग से संबंधित कामों उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की थी।

वोटर मैपिंग में एसआईआर वाले 12 राज्यों में राजस्थान सबसे आगे

बता दें कि SIR वाले राज्यों में मैपिंग में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान मेंस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) नेट पर कुल मैपिंग 49.37 प्रतिशत हो चुकी है। गुजरात में 5.73 प्रतिशत, यूपी में 13.41 प्रतिशत, एमपी में 20.09 प्रतिशत, तमिलनाडु में 21.62 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 24.27 प्रतिशत वोटर्स की ही मैपिंग हुई है।

एक घर पर तीन बार जाएंगे बीएलओ, इसके बाद नहीं मिलने नोटिस चस्पा होगा–बीएलओ घर–घर जाकर गणना फॉर्म (EF) भरेगा। हर वोटर को यह फॉर्म दिया जाएगा। कोई परिवार मान लीजिए बाहर गया हुआ है तो सामान्यतया वह एक महीने में वापस लौट आता है। बीएलओ हर घर पर जाकर तीन बार फॉर्म भरवाने का प्रयास करेगा। फिर भी कोई घर पर नहीं मिलते हैं तो बीएलओ फॉर्म घर पर डालकर नोटिस चस्पा करेगा। एक महीने में तीन बार बीएलओ जाएंगे।

दो दिन में मतदाता सूची की शत-प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित करें

जैतारण। विधानसभा क्षेत्र 116 की विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में उपखंड कार्यालय में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनोज कुमार मीणा की अध्यक्षता में बीएलओ व सुपरवाइजरों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपखंड अधिकारी मीणा ने सुपरवाइजरों को बीएलओ एप में मैपिंग से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ आगामी दो दिनों में अपने-अपने क्षेत्र की मतदाता सूची की शत-प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित करें ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर पूर्ण हो सके। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सावधानी से करने के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित या कार्य में लापरवाही बरतने पर सात सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधिकारी मीणा ने चेतावनी दी कि आगामी निरीक्षण में लापरवाही पाई जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 3 बार मतदाताओं के घर जाएंगे बीएलओ

भास्कर न्यूज | मसूदा

विधानसभा क्षेत्र (104) की विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओं एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

जिसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसंबर की अवधि में बीएलओ 3 बार मतदाताओं के घर पर जाएंगे जिसमें प्रथम भ्रमण में घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण करेंगे।

जिसको मतदाता उक्त अवधि से पहले भरेंगे और अपनी एक वर्तमान कलर पासपोर्ट साइज फोटो निर्धारित स्थल पर चस्पा करेगें। पुनरीक्षण के प्रथम चरण में मतदाताओं को गणना प्रपत्रों की प्रविष्टियों की ही पूर्ति करनी है।

मसूदा. बैठक में चर्चा करते अधिकारी ।

किसी प्रकार का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं करना है। प्रशिक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी दीपशिखा के नेतृत्व में डाईट सभागार में जिला स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक अजय कुमार शर्मा व विधानसभा स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक लोकेश कुमार वर्मा, दयानंद मारू, दयाराम नायक, विश्राम कुमार हिनुनिया, भागचन्द एएलएमटी एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सभागार भिनाय में जिला स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक विनोद टेकचंदानी एवं विधानसभा स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक महेश शर्मा, गंगाविशन द्वारा दिया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में ईआरओ दीपशिखा के नेतृत्व में उपखण्ड मसूदा के सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मसूदा-104 के समस्त राजनैतिक दलों के साथ विशेष बैठक का आयोजन कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की सम्पूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी गई।

भास्कर खास

23 साल बाद चुनाव आयोग का पुनरीक्षण : घर-घर जा रहे बीएलओ

पापा-दादा वोटर लिस्ट में हैं तो एंट्री आसान

भास्कर न्यूज | पाली

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 23 साल बाद पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में बदलाव कर काफी सरल बनाया है। 2002 की मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता का अपडेशन सिर्फ उनका पासपोर्ट साइज फोटो से होगा। वहीं बहू की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उनकी मैपिंग उसके माता-पिता के साथ होगी। 23 साल बाद मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ हर पात्र मतदाता तक पहुंचेगा।

अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को आधुनिक बनाना, त्रुटियों को सुधारना, मृत, स्थानांतरित या दोहरे नामों को हटाना और पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ना है। प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। बीएलओ अपनी मर्जी से किसी का नाम नहीं हटा सकेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक चलेगी।

जिले के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया चल रही है। यह काम प्रशासन की पूरी टीम के साथ बीएलओ द्वारा की जाती है। बीएलओ हर पात्र मतदाता तक पहुंच रहा है। जिले में 2025 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के पास बीएलओ जाएगा। गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने का आग्रह किया है।

वोटरलिस्ट : वह सब जो आपको जानना जरूरी है

सिर्फ एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा : जिले में बीएलओ एक महीने तक घर-घर दस्तक देगा। इसमें गणना प्रपत्र के साथ फॉर्म 6 भरेगा। एक बीएलओ मतदाता के घर 3 बार आएगा। इस बार अधिकांश मतदाताओं से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के आधार पर पारिवारिक मैपिंग कर रहे है। यदि किसी व्यक्ति से दस्तावेज लेना जरूरी हो तो वह सिर्फ सत्यापन के लिए होगा। यदि आपके दादा, पिता या माता का नाम पुरानी सूची में है तो उसी पारिवारिक लिंक से आपकी एंट्री हो जाएगी।

पहचान के लिए ये दस्तावेज मान्य : आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी या पीएसयू आईडी, पेंशन भुगतान आदेश, वन अधिकार पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण-पत्र और नागरिक रजिस्टर आदि दिखाए जा सकते हैं।

पहले चरण की प्रक्रिया, पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना-2027

पहली बार स्मार्टफोन से जुड़ेंगे हर घर के आंकड़े

न्यूज एजेंसी/नवज्योति,डूंगरपुर

जनगणना-2027 की प्रक्रिया शनिवार से जमीन पर दिखाई दी। इसके एप को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन प्री-टेस्ट के पहले चरण में चयनित लोगों को स्वगणना का विकल्प दिया जा रहा है एवं जनगणना प्रगणक के स्मार्टफोन के जरिए होगी। देश में पहली बार यह प्रयोग अपनाया जा रहा है व इससे जनगणना पूर्णतया डिजिटल होने से आंकड़ों की सटीक गोपनीयता भी अधिक रहेगी। मोबाइल एप पर मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक के परिवार की जानकारी सब्मिट करते ही सुपरवाइजर के पास पहुंच जाएगी, जिसमें कोई कमी होने पर सुपरवाइजर उसे तुरंत ठीक करवा सकेगा और फिर भी कमी रही तो चार्ज अधिकारी उसे दुरुस्त करवाएगा। इससे हर दिन प्रगणक के फील्ड वर्क की नियमित समीक्षा होगी, जिससे जानकारी अधिक सटीक आएगी। प्रगणक के पास स्मार्टफोन पहले से ही ही उपलब्ध होने पर सरकार को अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। हर प्रगणक के कार्य पर अब सुपरवाइजर और चार्ज अधिकारी की सीधी निगरानी रहेगी। जानकारी में किसी प्रकार की विसंगति पर तत्काल सुधरवाई जा सकेगी, जबकि पिछली जनगणना में यह शीट जमा होने के बाद ही हो पाता था। जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण के लिए पहले प्रगणक एक शीट पर 20 परिवारों की जानकारी भरता था, लेकिन अब एक परिवार की जानकारी भी एक साथ नहीं दिखेगी। भरी हुई जानकारी केवल सब्मिट की जा सकती है, जो जनगणना से जुड़े अधिकारियों तक ही पहुंचेगी। इस जानकारी को बाहर के किसी व्यक्ति को न तो शेयर किया जा सकता है और न एप पर स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है। इससे जानकारी की गोपनीयता बढ़ेगी। फील्ड में काम करने वाले प्रगणक एप के माध्यम से ऑफलाइन भी डेटा दर्ज कर सकेंगे, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी सुगमता से जानकारी एकत्र की जा सके। इस ऑफलाइन दर्ज की गई जानकारी को इंटरनेट मिलते ही नियमित तौर पर सब्मिट किया जा सकेगा। सुपरविजन में चार्ज अधिकारी की फील्ड वर्क पर सीधी निगरानी, कमी तत्काल दूर होगी।

गलियाकोट तहसील के 64 राज्यसभा गांव का चयन

भारत की पहली डिजीटल जनगणना, 2027 के प्री-टेस्ट हेतु जिले के गलियाकोट तहसील के समस्त 64 राजस्व गांव का चयन किया गया है, जिसमें 218 प्रगणक एवं पर्यवेक्षको का चयन किया गया है जो कि 10 नवंबर से 30 नवंबर तक घर-घर जाकर 34 तरह के सवाल पूछेंगे एवं जानकारी मोबाईल मे ऑनलाईन दर्ज होगी। प्री-टेस्ट हेतु प्रगणक एवं पर्यवेक्षको का प्रशिक्षण का आयोजन 3 से 5 नवंबर तक सनराईज ऐकेडमी उमावि उमिया नगर चितरी में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण से पूर्व की जाने वाली तैयारी हेतु डॉ. पुलकेश शर्मा, उपनिदेशक एवं श्री लोकेश मीना, सांख्यिकी अनवेशक ग्रेड प्रथम जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान के मार्गदर्शन में प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण से पूर्व ऑनलाईन पोर्टल पर ऑनलाईन मैपिंग एवं ब्लॉक आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनगणना 2027 के प्री-टेस्ट हेतु 1 नवंबर से 7 नवंबर तक गलियाकोट तहसील के लोगो को स्वगणना का विकल्प दिया जा रहा है जिसमें 1 नवंबर से 7 नवंबर 2025 तक गलियाकोट तहसील के राजस्व गांव के लोगो द्वारा ऐप पर स्वयं के द्वारा जनगणना से संबंधित प्रश्नोत्तर भरे जाएंगे जिसे प्रगणको द्वारा 10 नवंबर से फील्ड में जाकर लोगो द्वारा भरी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें त्रुटि होने पर परिवार के मुखिया से सहमति उपरांत संशोधन किया जा सकेगा। मोबाईल ऐप पर मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक के परिवार की जानकारी सब्मिट करते ही सुपरवाईजर के पास पहुंच जाएगी जिसमें कोई कमी होने पर सुपरवाईजर उसे तुरंत ठीक करवा सकेगा, फिर भी कमी रही तो चार्ज अधिकारी उसे दुरस्त करवाएगा। इससे हर दिन प्रगणक के क्षेत्रिय कार्य की नियमित समीक्षा होगी जिससे अधिक से अधिक सटीक जानकारी आएगी। 3 नवंबर 2025 से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में बिष्णु चरण मल्लिक, जनगणना कार्य निदेशक एवं संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का दौरा भी प्रस्तावित है।